

□ जनपद- हाथरस □

◆ □ प्रेस नोट ◆ □

□ दिनांक- 16.09.2025 □

!! □ एसओजी टीम व थाना कोतवाली हाथरस पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में कोतवाली हाथरस क्षेत्रान्तर्गत स्थित HDFC बैंक में संचालित एक व्यक्ति द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में अपने चालू खाता से पांच करोड़ रुपये (5,00,00,000 रुपये) ओवरड्राफ्ट नियमों के विपरीत गलत तरीके से धोखाधड़ी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार !! □

आरोपी के कब्जे से 5,00,000 रुपये नगद बरामद किए गए हैं, शेष खातों में पड़े रुपये व म्यूचुअल फंड आदि में लगाए गए रुपयों को फ्रीज कराया जा रहा है

➡ □ अवगत कराना है कि दिनांक-14.09.2025 को थाना कोतवाली हाथरस पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति आकाश निवासी विष्णुपुरी थाना हाथरस द्वारा एक व्यक्ति को 03 लाख रुपये मांगने पर 10 लाख रुपये दे दिये हैं तथा उसके HDFC बैंक खाते में करीब 05 करोड़ रुपये फ्रॉड करके डाल लिए गये हैं। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली हाथरस पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुये सर्विलांस सेल की टेक्निकल टीम की मदद से आकाश के बारे में जानकारी की गई।

➡ □ पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा द्वारा उक्त घटना को बेहद गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में टीमों का गठन कर घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था, तथा एसओजी व सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था।

➡ □ जांच के अनुक्रम में पाया गया कि चामुंडा देवी स्वीट्स के नाम एक एचडीएफसी अकाउंट से आरोपी आकाश कुमार पुत्र ज्वाला प्रसाद माहौर द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में यह अंदाजा लगाने का प्रयास किया जा रहा था अधिकतम कितना ओवरड्राफ्ट निकाला जा सकता है। इसी क्रम में आरोपी द्वारा बैंक के ओवरड्राफ्ट नियमों के विपरीत ओवरड्राफ्ट फेसिलिटी का उपयोग करते हुए कदाशयतापूर्ण तरीके क्रमशः 5 हजार, 50 हजार, 1 लाख और 3 लाख का अमाउंट अपने चालू खाता से सेविंग खाते में ट्रांसफर किया गया परन्तु बाद में चालू खाते में ही जमा कर दिया गया। इसी तरह वह जानने का प्रयास करता रहा कि कितना ओवरड्राफ्ट के माध्यम से रुपये निकाले जा सकते हैं।

➡ □ आरोपी द्वारा ओवरड्राफ्ट के नियमों के खिलाफ दिनांक 24/08/2025 को 50 लाख का अमाउंट निकाला गया और जिसे वापस नहीं जमा किया गया। बैंक के ऑटोमेटेड सिस्टम से यह जानकारी बैंक मैनेजर और दूसरे कर्मचारियों को हुई, परन्तु संदिग्ध परिस्थितियों में उक्त अकाउंट को ना ही होल्ड किया गया और ना ही फ्रीज किया गया तथा इसकी रिपोर्टिंग 3 दिन बाद ईमेल के माध्यम से दिनांक 27/08/2025 को एचडीएफसी बैंक के उच्च अधिकारियों को की गई। आरोपी द्वारा अगले 9 ट्रांजैक्शन में 4.5 करोड़ और कुल मिलाकर 5 करोड़ का गबन किया गया। पकड़े गए आरोपी द्वारा यह भी बताया गया कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किया गए ट्रांजैक्शन को बैंक होल्ड या फ्रीज कर सकती है इसलिए आरोपी के ग्रो ट्रेडिंग अकाउंट में एचडीएफसी बैंक से ट्रांजैक्शन किया गया और ग्रो एप्प से पैसे को फेडरल बैंक में भेज दिया गया ताकि उसको ऑनलाइन ट्रेड ना किया जा सके।

➡ □ वादी अजीत कुमार सिंह पुत्र राम नन्दन सिंह निवासी बी-1 1104 कृष्णा अपरा गार्डन ईद, थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में आरोपी आकाश के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में ग्राउंड इंटेलीजेंस, टेक्निकल साक्ष्य आदि लाभप्रद सूचनाओं के अभिसंकलन से एसओजी टीम व थाना कोतवाली

हाथरस पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में आज दिनांक 16.09.2025 को एच0डी0एफ0सी0(HDFC) बैंक में संचालित चालू खाता से पांच करोड़ रुपये (5,00,00,000 रुपये) ओवरड्राफ्ट करके धोखाधड़ी करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

➡️ □ आरोपी द्वारा बताया कि मैंने 05 करोड़ रुपये में से 2,75,000/- की यामाहा MT 15 खरीद ली थी, 1.5 करोड़ MUTUAL FUND में लगा दिये थे, 1 करोड़ स्वयं के फेडरल बैंक खाते में, 50 लाख अपने वॉलेट में, अपने माँ के खाते में एक बार 73 लाख जमा कर दिये थे तथा 40 लाख रुपये की बजाज फिन्सर्व में एफडी कर दी थी तथा 20 लाख रुपये अपने दोस्तों के खाते में डाल दिये हैं तथा 09 लाख रुपये नगद निकाल लिए थे, जिसमें से पांच लाख रुपये नगद बरामद किये गये हैं। पुलिस द्वारा अन्य शेष बचे रुपयों के बारे में जानकारी करते हुए खातों में पड़े रुपये को फ्रीज कराया जा रहा है।

➡️ □ उक्त अभियोग में HDFC बैंक से किन परिस्थितियों में बैंक कर्मियों को जानकारी होने के उपरान्त भी खाताधारक का एकाउंट न तो फ्रीज किया गया न ही होल्ड किया गया। जिसके कारण आरोपी आकाश द्वारा साढ़े चार करोड़ रुपये अतिरिक्त ट्रांसफर कर लिये गये। बैंक कर्मियों की संलिप्तता के सम्बन्ध में पुलिस की टैक्निकल टीम व HDFC बैंक की उच्चाधिकारी गणों की सहायता से गहनता से विवेचना की जा रही है, शीघ्र साक्ष्य संकलन करते हुये अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आकाश पुत्र स्व0 ज्वाला प्रसाद निवासी गली नं0 5 मौहल्ला विष्णुपुरी थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस।

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री गिरीश चंद्र गौतम मय टीम थाना कोतवाली नगर जनपद हाथरस।
2. प्रभारी एसओजी श्री धीरज गौतम मय एसओजी टीम जनपद हाथरस।